Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>M.A(C) क्रमांक 605/2020</u>

<u>आरक्षित दिनांक- 13.01.2021</u>

<u>निर्णय दिनांक- 20.01.2021</u>

मुकेश पाटले, आ. श्री फिगेश्वर पाटले, आयु- 24 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 15, भकलीडीह खुर्द, तहसील- खैरागढ़, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ (दावाकर्ता)……………………………………………..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. शैलेन्द्र वर्मा, आ. श्री कामतालाल वर्मा, आयु- 24 वर्ष, निवासी- ग्राम कुशयारी, थाना एवं तहसील खैरागढ़, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ (चालक)

2. रितेश कुमार वैष्णव, आ. श्री सुभाष वैष्णव, आयु- 34 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 18, नया टिकरापारा, खैरागढ़, तहसील खैरागढ़, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ (वाहन स्वामी)

3. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ …………………..………… उत्तरवादीगण

अपीलार्थी की ओर से - श्री हेमंत केशरवानी, अधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण की ओर से - कोई नहीं ।

---

1. इस अपील में अपंजीकृत दावा मामले में दिनांक 19.02.2020 को पारित अधिनिर्णय को चुनौती दिया गया है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, खैरागढ़ (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दावे को समय से वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया

है। इस अपील के पक्षकारों को न्यायाधिकरण में उनके विवरण के अनुसार संदर्भित किया जाएगा ।

2. इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिये जिन तथ्यों को इंगित करना आवश्यक है, वह यह है कि दिनांक 23/04/2019 को समय रात्रि 7.30 बजे रितेश कुमार वैष्णव के स्वामित्व के विवादित वाहन बोलेरो क्रमांक सी. जी. 08 ए.के. 2333 एवं IFCO टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमाकृत वाहन द्वारा दावाकर्ता को जोरदार ठोकर मार दिया गया था, जब वह खैरागढ़ से अपने गांव अमलीडीह खुर्द वापस आ रहे थे । वाहन चालक शैलेन्द्र वर्मा द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन करने के कारण प्रश्नगत दुर्घटना हुयी थी, जिसके परिणामस्वरूप दावेदार को काफी चोटे आने के कारण दिनांक 17/02/2020 को मोटरयान अधिनियम (जिसे बाद में मुख्य अधिनियम के रूप में इंगित किया जायेगा) की धारा 166 के तहत दावा प्रकरण संस्थित किया गया।

3. उपरोक्त दावा को न्यायाधिकरण द्वारा मुख्य अधिनियम की धारा 166(3), जो कि मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (जिसे बाद में संशोधन अधिनियम के रूप में इंगित किया जायेगा) की धारा 53 से जोड़ा गया है, में दिये गये प्रावधान अनुसार निर्धारित समयसीमा घटना दिनांक से छः माह से बाहर संस्थित होने से समय से वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया था ।

4. अपीलार्थी/दावाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत केशरवानी द्वारा निवेदन किया गया है कि चुंकि दुर्घटना दिनांक 23/04/2019 से पहले हुआ है, जो कि संशोधन अधिनियम के पहले का है, जब मुख्य अधिनियम के प्रावधान लागू थे, जहां पर कोई समयसीमा निर्धारित नहीं थी, जब अधिकरण के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसीलिये मुख्य अधिनियम में दिये गये प्रावधान लागू होना चाहिये एवं संशोधन अधिनियम से जोड़े गये प्रावधानों के तारतम्य में दावा को समयाबाधित घोषित नहीं करना चाहिये । उनके अनुसार, भले ही उक्त संशोधन अधिनियम दिनांक 1 सितम्बर 2019 से लागू हुआ है, परंतु इस अधिनियम की धारा 53 के प्रावधान अनुसार मुख्य अधिनियम की धारा 166 में संशोधन का प्रस्ताव उक्त संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) में दिये गये आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नही किया गया था। इसलिये देरी की माफी के लिये आवेदन की आवश्यकता नही थी और न ही परिसीमा के बिंदु पर दावा को खारिज किया जाना चाहिये था। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दावा प्रकरण को समय द्वारा वर्जित मानते हुये खारिज करते हुये गंभीर अवैधानिकता कारित किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपील का नोटिस तामिल होने पश्चात् भी उत्तरवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुये हैं ।

6. इसमें सम्मिलित तथ्यों को देखते हुये विचारण हेतु निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत होते हैं -

> "क्या संशोधन अधिनियम की धारा 53 के माध्यम से जोड़े गये धारा 166 (3) मुख्य अधिनियम के अनुसार दावा प्रकरण समयाबाधित होना घोषित किया जा सकता है ?"

7. उपरोक्त प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के पूर्व, मोटरयान के उपयोग से कारित मृत्यु अथवा उपहति के संबंध में प्रतिकर हेतु दावा प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा की अवधि के निर्धारण के मामले में विधायी विकास का पता लगाना आवश्यक है ।

8. शुरूवात में, मोटरयान अधिनियम, 1939 लागू था,

जिसमें धारा 110-ए के अंतर्गत परिसीमा की अवधि हेतु निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध है, एवं उसमें प्रासंगिक भाग यह है, जो कि नीचे दर्शाया गया है -

"धारा 110 ए" : प्रतिकर के लिये आवेदन

(1) xxxx xxxx

(2)xxxx xxxx

(3) मुआवजा के लिये आवेदन तब तक स्वीकार नही जायेगा, जब तक कि वह दुर्घटना कारित होने के दिनांक से छः माह के भीतर न पेश हो ।

परंतु, दावा अधिकरण छः माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी आवेदन स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक समुचित कारणों से समय पर आवेदन पेश करने से वंचित हो गया था ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, एक दावा प्रकरण को दुर्घटना कारित होने के छः माह के भीतर पेश करने की आवश्यकता थी एवं उसके परंतुक के अनुसार, अधिकरण छः माह की अवधि के अवसान पश्चात् भी आवेदन स्वीकार कर सकता है, यदि दावाकर्ता द्वारा यह संतुष्ट कर दिया जाता है कि वह समुचित कारणों से समय पर आवेदन पेश करने से वंचित हो गया था ।

10. हालांकि उपरोक्त अधिनियम, बाद में मुख्य अधिनियम, जो कि दिनांक 01/07/1989 से प्रवृत्त है, के लागू होने के कारण निरसित हो गया था। इसके अनुसार, दावा प्रकरण पेश करने के लिये परिसीमा की अवधि धारा 166(3) में निम्नानुसार प्रावधानित है -

"166. प्रतिकर के लिये आवेदन-

(1) xxxxxxx

(2)xxxxx

(3) मुआवजा के लिये आवेदन तब तक स्वीकार नही किया जायेगा जब तक कि दुर्घटना होने के छः माह के भीतर नही किया गया है ।

परंतु दावा अधिकरण छः माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी आवेदन स्वीकार कर सकता है, परंतु बारह माह से अधिक नहीं, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक समुचित कारणों से समय पर आवेदन पेश करने से वंचित हो गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से दर्शित है कि दावा प्रकरण पेश करने के लिये परिसीमा की अवधि एक समान (छः माह) था, जैसा कि मोटरयान अधिनियम 1939 में था । जबकि, परंतुक के माध्यम से उपरोक्त प्रावधान में दुर्घटना कारित होने की तिथी से बारह माह के अवसान पश्चात् पेश किये गये दावा प्रकरण को स्वीकार किये जाने पर एक रोक लाया गया । इसका अर्थ है कि, भले ही अधिकरण छः माह की अवधि के अवसान पश्चात् आवेदन स्वीकार कर सकता है, परंतु दुर्घटना दिनांक से बारह माह के पश्चात् नहीं, क्योंकि अधिकरण के पास दुर्घटना दिनांक से बारह माह के भीतर दावा आवेदन पेश नही कर पाने की परिस्थितियों को विचार करने का कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नही है ।

12. जैसा कि होना चाहिये, संसद को अहसास हुआ कि दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुयी है, उनके दावा प्रकरणों को मात्र परिसीमा के कारणों पर निरस्त किये जाने से पीड़ित के उत्तराधिकारियों एवं विधिक प्रतिनिधियों के साथ घोर अन्याय एवं क्षति कारित हुआ है । उक्त एहसास के कारण, मुख्य अधिनियम की उपरोक्त धारा 166(3) को मोटरयान (संशोधन)

अधिनियम, जो कि दिनांक 14/11/1994 से प्रवृत्त हुआ है, की धारा 53 के द्वारा निरसित किया गया। संशोधन अधिनियम का यह प्रभाव हुआ कि दिनांक 14/11/1994 से दुर्घटना के मामले में अधिकरण के समक्ष एक दावा प्रकरण पेश करने हेतु कोई परिसीमा नही था । जबकि, छः माह की परिसीमा की अवधि, जैसा कि उपर दिये गये अनुसार उपरोक्त अधिनियम में, संशोधन अधिनियम की धारा 53 में दिये गये प्रावधान अनुसार इसके बनने के दिनांक 01/09/2019 को एवं से पुनः सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया ।

13. उपरोक्त प्रावधानों को लागू करते हुये, दुर्घटना कारित होने की तिथी से छः माह की अवधि के अवसान पश्चात् प्रस्तुत किये गये दावा प्रकरण को अधिकरण द्वारा समयाबाधित मानते हुये खारिज किया गया है । उक्त पृष्ठभूमि में, अब संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के प्रभाव का परीक्षण किया जाना है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. संशोधन अधिनियम, 2019 दिनांक 09 अगस्त 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसने मुख्य अधिनियम में अत्यधिक संशोधन किया ।

15. इस परिप्रेक्ष्य में संशोधन अधिनियम की धारा 1 प्रासंगिक है, जो कि इस प्रकार है-

> "1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
>
> (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति ऐसे किसी उपबंध में किए गए किसी

निर्देश को उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा ।

16. उपरोक्त प्रावधान के उपधारा (2) के उपरी अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम में दिये गये प्रावधानों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर ही लागू किया जा सकेगा और जब तक ऐसा अधिसूचित नही होगा, यह प्रचलित है, नहीं कहा जा सकता है ।

17. केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) में दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01 सितम्बर 2019 को नामित करते हुये एक अधिसूचना जारी किया गया जिसमें संशोधन अधिनियम के निम्नानुसार प्रावधानों को लागू किया गया है, यथा:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुक्रमांक	धारा
1	धारा 2 एवं 3
2	धारा 4 का खंड (i) से (iv) (दोनों सहित)
3	धारा 5 का खंड (i) से (iii) (दोनों सहित)
4	धारा 6
5	धारा 7 का खंड (i)
6	धारा 9 एवं 10
7	धारा 14
8	धारा 16
9	धारा 17 का खंड (ii)
10	धारा 20
11	धारा 21 का खंड (ii)
12	धारा 22
13	धारा 24
14	धारा 27
15	धारा 28 का खंड (i)
16	धारा 29 से 35 (दोनों सहित)
17	धारा 37 एवं 38
18	धारा 41 एवं 42
19	धारा 43
20	धारा 46

21	धारा 48 एवं 49
22	धारा 58 से 73 (दोनों सहित)
23	धारा 75
24	धारा 77 का खंड (ख) का उपखंड (i)
25	धारा 78 से 87 (दोनों सहित)
26	धारा 89
27	धारा 91 का खंड (ii) एवं खंड (i) का उपखंड (क)
28	धारा 92

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन से संबंधित उपरोक्त तालिका के बाह्य अवलोकन से दर्शित है कि अन्य प्रावधानों को छोड़ते हुये मात्र इनमें उल्लेखित प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है, जबकि उक्त तिथी तक में अन्य के संबंध में उनके लागूकरण के बारे में कोई अधिसूचना जारी नही है।

19. संशोधन अधिनियम के माध्यम से, विधायिका द्वारा धारा 50 के माध्यम से मुख्य अधिनियम के अध्याय 10 को निरसित करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसमें धारा 140 से धारा 144 के प्रावधान उपबंधित हैं एवं साथ ही, धारा 51 के माध्यम से मुख्य अधिनियम में अध्याय 11 के स्थान पर नया अध्याय 11 को स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसमें धारा 145 से 164 के प्रावधान उपबंधित हैं । आगे धारा 52 से धारा 57 के माध्यम से कुछ अन्य प्रावधानों, जैसे कि मुख्य अधिनियम के अध्याय 12 की धारायें 165, 166, 168, 170 एवं धारा 173 में भी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया ।

20. यहां उद्भूत प्रश्न पर विचार हेतु अब, यह उपयुक्त होगा कि संशोधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों जैसे कि, धारा 50 से धारा 57 एवं मुख्य अधिनियम में शामिल उपबंधों का तुलनात्मक तालिका तैयार किया

जावे ।

अनुक्रमांक	संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान	मुख्य अधिनियम
1	धारा 50	धारा 140 से धारा 144 (अध्याय 10)
2	धारा 51	धारा 145 से धारा 164 (अध्याय 11)
3	धारा 52	धारा 165
4	धारा 53	धारा 166
5	धारा 54	धारा 168
6	धारा 55	धारा 169
7	धारा 56	धारा 170
8	धारा 57	धारा 173

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. संशोधन अधिनियम की धारा 50 से 57 का उपरोक्त उल्लेखित उपबंध मुख्य अधिनियम की धारा 140 से 144, धारा 145 से 164, धारा 165, धारा 166, धारा 168, धारा 169, धारा 170 एवं धारा 173 से संबंधित है । हालांकि, विधायिका द्वारा संशोधन अधिनियम के उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि उपरोक्त दर्शित तालिका के कॉलम 2 में बताया गया है, मुख्य अधिनियम के उपबंधों में, जैसा कि उपरोक्त तालिका में कॉलम (3) में दर्शाया गया, में संशोधन प्रस्तावित किया गया था, परंतु उक्त दिनांक तक, संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) की आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नही किया गया था । एदत् द्वारा एवं केन्द्र सरकार की ओर से संशोधन अधिनियम में उल्लेखित उपरोक्त उपबंधों के अनुसार किसी प्रकार का अधिसूचना जारी

किये जाने के अभाव में, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त उल्लेखित तालिका के कॉलम 3 में दर्शित मुख्य अधिनियम के उपबंध लगातार प्रभावशील है ।

22. चुंकि, उपरोक्त तालिका के कॉलम 2 के अंतर्गत उल्लेखित संशोधन अधिनियम की उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानें, संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के तहत अधिसूचित नही थी। दावाकर्ता, अब भी मुख्य अधिनियम की धारा 140 के तहत एक पृथक आवेदन, अथवा उसके साथ मुख्य अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजा का आवेदन अथवा विकल्प में मुख्य अधिनियम की धारा 163- क के अंतर्गत संरचनात्मक सूत्र के आधार पर मुआवजा हेतु आवेदन पेश कर सकता है । यह याद रखी जावे, जैसा कि उपरोक्त अवलोकन में है, यह कि दिनांक 14 नवंबर 1994 से देरी में माफी के संबंध में मुख्य अधिनियम की धारा 166(3) में उल्लेखित उपबंध निरसित हो गया था । वर्तमान में, संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के अंतर्गत संशोधन अधिनियम की धारा 53 के अधिसूचना के पूर्व यदि दुर्घटना कारित होने की तिथी से छः माह के अवसान पश्चात् मुआवजा के लिये आवेदन पेश किया गया है, वहां पर देरी में माफी प्रदान करने वाला कोई प्रावधान नहीं है । दावाकर्ता/दावाकर्ताओं को देरी में माफी के लिये आवेदन पेश करने की आवश्यकता नही है ।

23. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, अपील स्वीकार किया गया एवं अपंजीकृत प्रकरण में दिनांक 19.02.2020 को पारित अधिनिर्णय इस प्रकार अपास्त किया गया एवं तदानुसार दावा प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनर्स्थापित किया जाता है कि अतिरिक्त मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण न्यायाधिकरण, खैरागढ़ एवं/अथवा संबंधित न्यायाधिकरण इसे पंजीयन करें एवं विधि के अनुसार उसका निराकरण करें । खर्च के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur